Prescribed Form for inviting applications for khuddam-ul hujjaj

For Haj-2010

Attested Photograph

1. Full Name……………………………………………………………………………

2. Address……………………………………………………………………………

3. Age and Date of birth :……………...
   (Please attach a copy of the proof regarding date on birth)

4. Age as on 01.01.2010 :………………………………………...
   (Age on last date of receipt of nomination, (31st July, 2010)

5. Are you a Government Servant Yes/No
   (Please attach a copy of the Identity Card issued by the Office)

6. Name & Address of the Office :………………………………………………….

7. Languages Known :…………………………………………………………………

8. Educational Qualification :………………………………………………………….

9. State of health :……………………………………………………………………..

10. Have you attended training/orientation* Yes/No
    Camps organized by HCOI/SHC

11. Experience in organizing public :………………………………………………
    Congregation and in social work
    (please give details) :

12. Previous experience Yes/No
    As Khaddim-ul-hujjaj :

13. Any other information of interest :…………………………………………….

Place :……………………

Date :……………………..

____

Signature of application

…………………………………………………

Seal and signature of forwarding State Haj Committee

Date :……………….

Important note:-

(1) An individual who has not attended the training camp will not be eligible for selection as khuddam-ul-hujjaj
(2) Incomplete application form/application form not signed and forwarded by the state haj committee wlll not be entertained.
(3) Application received without supporting documents (refer sl. No. 4, 5 and 10 of the application form) wlll not be entertained.

ख़ादिमुल हुज्जाज हज–2010

<u>ख़ादिमुल हुज्जाज हेतु आवेदन पत्र अग्रसारित किये जाने से सम्बन्धित शर्तें</u>

1. खादिमुल हुज्जाज के भरे हुए प्रार्थना पत्र उचित माध्यम से अन्तिम तिथि 30.06.2010 तक उ0प्र0 राज्य हज समिति के कार्यालय स्थित 10–ए विधान सभा मार्ग, लखनऊ को प्राप्त हो जाना चाहिए। अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों पर विचार नही किया जायेगा।
2. सरकारी कर्मचारी जिसका चयन किया जाए वह अपने कैडर में नियमित सेवा का हो एवं उस पद का वेतनमान आहरित कर रहा है।
3. हज–2010 में चयनित खादिमुल हुज्जाज की आयु 01.01.2011 को 25 वर्ष से कम तथा 50 वर्ष से अधिक न हों।
4. फार्म के साथ आयु प्रमाण पत्र के रूप में हाई स्कूल का प्रमाण पत्र सलंग्न करें।
5. जिलों में हज प्रशिक्षण जहॉ से प्राप्त किया हो उसका प्रमाण पत्र सलंग्न करें।
6. हज कब/किन–किन वर्षो में स्वयं/सरकारी ड्यूटी के रूप में किया है विवरण एवं प्रमाण सलंग्न करें।
7. जो कर्मचारी तीन बार जा चुके है उसका नाम अग्रसारित न किया जाय
8. आवेदन पत्र में गलत सूचना देने अथवा तथ्यों को छिपाने की स्थिति में नियमानुसार विभागिय कार्यवाही हेतु प्रकरण अग्रसारित कर दिया जाएगा।
9. ऐसे कर्मचारी का चयन न किया जाए जिसके परिवार का कोई सदस्य हज–2010 की यात्रा पर जा रहा हो।
10. चयन के लिए कर्मचारियों को हज प्रशिक्षण प्राप्त किया होना आवश्यक होगा एवं इसका प्रमाण प्रार्थना पत्र भी फार्म के साथ सलंग्न करना होगा।
11. संविदा/नियत वेतन पर तैनात कर्मचारी आवेदन के पात्र नही होगे।
12. ख़ादिमुल हुज्जाज हेतु आवेदन करने वालो पर विदेश यात्रा/विदेश अस्थायी प्रतिनियुक्ति सभी शर्तें लागू होगी।
13. सरकारी कर्मचारियों जैसे खण्ड विकास अधिकारी, तहसीलदार, स्कूल टीचर, डाक्टर तथा पैरामेडिकल को वरीयता दी जायेगी। केन्द्र/राज्य सरकार में किसी भी संवर्ग के श्रेणी–01 के कर्मचारियों का चयन न किया जाए। क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान रखने वाले जनसम्पर्क व लेखा सेवा से जुडे अरबी, फारसी उर्दू व पूर्व में हज कर चुके कर्मचारियों को भी वरीयता दी जाएगी।
14. केवल उन्ही आवेदनकर्ताओ के फार्मो पर कार्यवाही की जायेगी जिनके फार्म के साथ विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं फार्म विभाग द्वारा अग्रसारित होगा।
15. हज कमेटी ऑफ इण्ड़िया/स्टेट हज कमेटी को यह सुनिश्चित करना होगा, कि खादिमुल हुज्जाज प्रदेश के हज यात्रियों की उड़ान के साथ ही यात्रा करें। हज यात्रियों की उड़ान के उपरान्त किसी खादिमुल हुज्जाज को न भेजा जाए।
16. हज–2010 में चयनित खादिमुल हुज्जाज के कोटे 15 प्रतिशत उ0प्र0 राज्य हज समिति, व वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों में से हो।
17. यदि किसी खादिमुल हुज्जाज के सम्बन्ध में भारतीय कॉउन्सलेट द्वारा पूर्व में कोई विपरीत टिप्पणी की गई हो तो ऐसे कर्मचारी का चयन न किया जाए।
18. खादिमुल हुज्जाज के लिए प्रार्थना पत्र देने वाले कर्मचारी को फार्म के साथ आचरण प्रमाण पत्र सलंग्न करना होगा।
19. ऐसे कर्मचारियों का चयन न किया जाए जिसका सऊदी के मोअल्लिम से कोई सम्बन्ध हो।

<u>ख़ादिमुल हुज्जाज हेतु प्रस्तावित ड्यूटी</u> :–

1. प्रत्येक चयनित ख़ादिमुल हुज्जाज को उड़ान हेतु माह अक्टूवर, 2010 के प्रथम सप्ताह में तैयार रहना होगा तथा इस तिथि से 15 दिन पूर्व अपने पृतैक विभाग से कार्यमुक्त होकर उ0प्र0 राज्य हज समिति के कार्यालय को अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करनी होगी, जहॉ उन्हें उड़ान से पूर्व हज यात्रियों को विभिन्न स्थलों पर सुविधा पहुॅचाने के सम्बन्ध में प्रशिक्षण दिया जाएगा एवं लखनऊ प्रवास के दौरान हज यात्रियों के कार्यों में सहयोग लिया जायेगा।
2. इस यात्रा को पूरा होने में लगभग 60 दिन का समय लगेगा।
3. कोई ख़ादिमुल हुज्जाज बिना हज समिति के अनुमति के मीडिया में कोई बयान नहीं देगा।
4. हज यात्रियों को हज से सम्बन्धित विभिन्न कार्यों में सहयोग प्रदान करना। अनिवार्य होगा।
5. कान्सलेट जनरल ऑफ इण्डिया, की सहायता से मक्का/मदीना स्थित ब्रान्च कार्यालयों/हज ट्रर्मिनल/मिना अराफत आदि कैम्पों पर हज यात्रियों को कठिनाईयों का निदान कराना होगा।
6. कान्सलेट जनरल ऑफ इण्डिया, की देख–रेख व उनके निर्देशानुसार हज यात्रियों को हज के दौरान कैम्प व उनके मोअल्लिम कार्यालयों पर सहयोग प्रदान करना होगा।
7. दिन प्रतिदिन के कार्यकलापों में हज यात्रियों का सहयोग प्रदान करना तथा उसकी शिकायतों का निराकरण सम्बन्धित अधिकारियों से मिलकर करना ।
8. हज यात्रियों को अराकान अदा करने में मदद करना।
9. आवश्यकतानुसार सहयोग जो हज यात्रियों को आपेक्षित हो प्रदान करना हेागा।

उ0प्र0 राज्य हज समिति,
लखनऊ।